न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 086/2019

1. जमना उम्र 15 वर्ष
2. गंगाजल उम्र 12 वर्ष } पुत्र व पुत्री बन्ताराम जाति बावरी साकिन सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नाबालिगान जरिए वाद मित्र श्रीमति बख्तावरी देवी (दादी) पत्नी आदूराम जाति बावरी साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

3. बख्तावरी देवी उम्र 75 वर्ष पत्नी आदूराम(माता बंताराम) जाति बावरी साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ममता उम्र 35 वर्ष पत्नी बंताराम जाति बावरी साकिन सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू. अ.) राजस्व तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री करणी सिंह राठौड़ — प्रार्थीगण
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय :–

दिनांक:–30-12-24

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री करणी सिंह राठौड़ द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अनुवान सदर का दावा अन्तर्गत धारा 88–53 रा.का. अधि. माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण के कामयाब होने की पूर्ण आशा है

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीया न. 1 का सजरा खानदान प्रस्तुत है। यह कि अप्रार्थीया सं. 1 के पति बंताराम के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 बी एल डब्लयू के खाता स. 51 नया पुराना 45 के प. नं. 17/241 (22) किला न. 1 ता 4, 6 ता 13 कुल 3.036 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड थी बंताराम का स्वर्गवास हो चुका है उसके बाद उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थीया नम्बर 1 ने जरिये इंतकाल नम्बर 470 दिनांक 05.08.2017 विरासतन अपने स्वय के नाम व प्रार्थी स. 1 व 2 के नाम प्रार्थीया स. 3 को छुपाते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है। प्रतिप्रति जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा [illegible] के पति आदूराम से प्राप्त हुई थी जिसमें मुझ मिकरा प्रार्थीया नम्बर 3 की मालकी व हिस्सा है तथा बंताराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के नाते भी मुझ प्रार्थीया सं. 3 का बंताराम के नाम की 3.036 हैक्टेयर में 1/4 हक व हिस्सा बनता है।

यह कि अप्रार्थीया नम्बर 1 के मन में बदयान्ती आ चुकी है तथा वह अपने पीहर पक्ष के एवं अन्य लोगो के प्रभाव में है । अप्रार्थीया न. 1 उपरोक्त वर्णित रकबा को अन्य लोगो को

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

विकय करने की फिराक में है। अगर वह अपने मकसद में कामयाब हो गयी तो प्रार्थीगण न. 1 व 2 जो नाबालिग है का हक व हिस्सा समापत हो जायेगा जिससे उन बच्चो के भविष्य व लालन पालन की बड़ी समस्या आ जायेगी। अप्रार्थीया न. 1 जो प्रार्थी स. 1 व 2 से कोई स्नेह नही रखती व उनका हिस्सा अपने हिस्से के साथ ही विक्रय करने पर आमादा है। ऐसा करने से मुझ प्रार्थीया न. 3 का 1/4 हिस्सा भी विक्रय हो जायेगा जिससे में मिकरा अपने हक व हिस्सा से महरूम रह जाउगी प्रार्थी न. 1 व 2 की दादी होने के नाते में उनका लालन पालन व परवरिश करने की जिम्मेदारी अपनी समझती हूँ तथा उनके भविष्य के प्रति जागरूक हूँ जबकि अप्रार्थीया न. 1 अपनी कोई जिम्मेदारी नही समझती तथा उक्त भूमि को विकय कर उस राशि को अपने स्वयं के ऐशोआराम में खर्च करना चाहती है।

यह कि अप्रार्थीया न. 1 विवादित भूमि को अतिशीघ्र ही अन्य लोगो को विक्रय कर गांव सूरांवाली से अन्यत्र जाने की फिराक में है तथा विकय राशि का अपने मनचाहे तरिके से उपयोग व उपभोग अपने ऐशोआराम में करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीया न. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गयी तो प्रार्थी स. 1 व 2 का भविष्य अंधकार में हो जाएगा तथा मन प्रार्थीया न. 3 का हक व हिस्सा भी समाप्त हो जाएगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। इस भूमि के अलावा प्रार्थी स. 1 व 2 के जीवन यापन व लालन पालन का कोई आध गर नही रहेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि ता फेसला वाद अप्रार्थीया न. 1 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित भूमि चक 1 बीएलडब्ल्यू के प. न. 17/241 (22) किला न. 1 ता 4, 6 ता 13 की कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि को रहन बैय करने से तथा अन्य तरीका से अन्तरण न करने के लिए पाबन्द-रहे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई एवं प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनने पर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंन्धित किया गया कि चक 1 बीएलडब्ल्यू के प. न. 17/241 (22) किला न. 1 ता 4, 6 ता 13 की कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि में रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा हाजिर होकर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीया संख्या 1 की ओर से जवाब वाद–पत्र निम्न प्रकार है –कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित उक्त शीर्षक का वाद पत्र प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई आशा नही है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित अप्रार्थीया संख्या [illegible] द्वारा खानदान का विवरण स्वीकार है। कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में [illegible] मिथ्या, मनघड़त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया [illegible] कोई भी तथ्य छिपाकर इन्तकाल दर्ज नही करवाया गया है। प्रार्थीया [illegible] को समस्त तथ्यों की भलिभांति जानकारी रही है। कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या [illegible] वर्णित तथ्य मिथ्या, मनघड़त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा कभी भी प्रार्थी संख्या 1 के अधिकारों से इन्कार नही किया गया ओर न ही प्रार्थीया संख्या 3 के अधिकारों में कभी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य मिथ्या, मनघड़त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिगान जमन व गंगाजल की कुदरती संरक्षक है तथा वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 व 2 नाबालिगान मिन अप्रार्थी संख्या 1 के सरंक्षण में रह रहे है तथा ममता मिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बच्चों का लालन–पालन किया जा रहा है ओर प्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि को किसी प्रकार से दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने का प्रयास नही किया गया है। प्रार्थीया संख्या 3 को प्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वाद–पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी संख्या 3 वर्तमान में किसी भी प्रकार से प्रार्थी संख्या 1 व 2 की संरक्षक नही है व ना ही प्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया संख्या 3 के सरंक्षण में रह रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी संख्या 3 मिन अप्रार्थीया संख्या 1 से बेहतर संरक्षक ना तो है ओर ना ही हो सकती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य मिथ्या, मनघड़त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा कभी भी प्रार्थीया संख्या 3 को कृषि भूमि के विभाजन करवाने से इन्कार नही किया गया। प्रार्थीया संख्या 3 अपनी पुत्रीयों के प्रभाव में आकर प्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से की जमीन हड़पने की गर्ज से मिथ्या व मनघड़त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया संख्या 3 द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वाद पत्र व उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु मिन अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में है ।

अतिरिक्त कथन

यह कि ग्राम पंचायत सूरांवाली की सरपंच व पंचायत द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीया संख्या 1 का दिनांक 02.03.2020 को आपस में राजीनामा करवा दिया। जिसके मुताबिक प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा मिन अप्रार्थी संख्या 1 को चक 1 बी0एल0डब्लयू0 के पत्थर न0 17 / 241 मुरब्बा न०. 22 के किला न0. 1 से 4, 6 से 13 कुल 12 बीघा कृषि भूमि बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई तथा मुरब्बा न0. 22 के किला न0. 5 में आड़ बख्तावरी देवी प्रार्थीया संख्या 3 द्वारा मिन अप्रार्थी संख्या 1 को देना तय हुआ है तथा किला न०. 6 में मिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ता व आड़ प्रार्थीया संख्या 3 बख्तावरी देवी को देना तय हुआ है। जिसकी लिखित ग्राम पंचायत सूरांवाली द्वारा दिनांक 02.03.2020 को की गई।

यह कि प्रार्थीया संख्या 3 के पति व मिन अप्रार्थीया संख्या 1 के ससुर आदुराम के नाम 1.25 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में मिन अप्रार्थीया संख्या 1 के स्वर्गवासी पति बन्ताराम का हिस्सा है। जिसे प्राप्त करने के मिन अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिकारी है किन्तु प्रार्थीया संख्या 3 जानबूझकर अपनी पुत्रीयों के प्रभाव में आकर प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा मिन अप्रार्थीया संख्या 1 के हिस्से की कृषि भूमि हड़पने की गर्ज से वाद पत्र व उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है, जिसकी आड़ में प्रार्थीया संख्या 3 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा मिन अप्रार्थीया संख्या 3 के हिस्सा की कृषि भू[illegible]बिक राजीनामा दिनांक 02.03.2020 मिन अप्रार्थीया संख्या 1 तथा प्र[illegible] तथा जिसका भौतिक व वास्तविक कब्जा सयुंक्त रूप से प्रार्थी संख्या 1 व 2 व मिन अप्रार्थीया संख्या 1 के पास है, के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर सके। जबकि [illegible]ताबिक राजीनामा प्राप्त कृषि भूमि का इन्तकाल प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा मिन अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया संख्या 3 खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब स्टेट प्राप्त होने पर जवाब स्टेट बंद किया गया है।

आदेश

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि ममता ने अन्यत्र विवाह कर लिया है प्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी दादी के पास रहते है कब्जा प्रार्थीगण के पास है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि दादी कोर्ट की अनुमति से संरक्षक बन सकती है। हिस्सा केवल मेरे नाम रहे है। बच्चे नाबालिग है उनकी जमीन कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं बिक सकती है। प्रार्थना पत्र खाजिर फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 5 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 30.12.2019 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 17:27:56 IST
Reason: SelfAttested